

आदेश ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 44/2021 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

स्वतंत्र माइक्रो हाउसिंग फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड, (पूर्व नाम माइक्रो हाउसिंग फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड) पंजीकृत कार्यालय 3, विक्टोरिया बिल्डिंग, प्रथम तल, एस. ए. ब्रेलवी रोड, होरनीमन सर्किल, फोर्ट, मुम्बई-400001, शाखा कार्यालय दक्षिण पूर्व कॉर्नर, प्रथम तल, मरुधर प्लाजा, एफ-300, श्याम नगर, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर प्राधिकृत अधिकारी श्री जयेश नवीन शाह।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री नवीन श्रीवास्तव
2. श्रीमती शालिनी श्रीवास्तव पत्नी श्री नवीन श्रीवास्तव  
पता :- 26, शिव कॉलोनी, कृष्णा मार्ग, बरकत नगर, जयपुर।  
एवं प्लेट नम्बर 8, VI रावील JP-46 सिद्धी विनायक अफोर्डेबल होम्स लिमिटेड नेवटा, जेडीए, सांगानेर।

अप्रार्थीगण  
ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थित:-

1. श्री भवानी सिंह नरुका अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश

दिनांक

09.12.2021


1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 07.06.2013 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री नवीन श्रीवास्तव के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लेट नम्बर 8, VI रावील JP-46 सिद्धी विनायक अफोर्डेबल होम्स लिमिटेड नेवटा, जेडीए, सांगानेर जिला जयपुर क्षेत्रफल 500 वर्गफीट को बंधक रख कर कुल 03,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 08.03.2018 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की

मजिस्ट्रेट  
जयपुर

धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. प्रार्थी अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 को क्रम संख्या 22 पर सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को 3,00,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय व्याज कुल 3,13,958/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 08.03.2018 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
6. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री नवीन श्रीवास्तव के स्वामित्व की सम्पत्ति फ्लेट नम्बर 8, VI रावील JP-46 सिट्टी विनायक अफोर्डेबल होम्स लिमिटेड नेवटा, जेडीए, सांगानेर जिला जयपुर क्षेत्रफल 500 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।  
आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 09.12.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

  
 (अन्तर सिंह नेहरु)  
 जिला मजिस्ट्रेट  
 (कलक्टर) जयपुर